प्रेस नोट–194/2026
दिनांक 07.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद उन्नाव/थाना पुरवा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सफेद धातु के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.04.2026 को थाना पुरवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–इरफान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–प्रेमसिंह सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–जमीलुद्दीन 4–सादाब 5–विपिन 6–अब्दुल मजीद 7–फाजिल उर्फ लकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर लूट के सफेद धातु के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.02.2026 को थाना पुरवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव, रायबरेली,

कमिश्नरेट लखनऊ व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान थाना अजगैन पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान निवासी ताडबगिया जाजमऊ थाना चकेरी कानपुर नगर, मूलपता त्रिवुभनखेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2—प्रेमसिंह निवासी वाहेपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

3—जमीलुद्दीन निवासी आजाद नगर सुपासी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

4—सादाब निवासी आजाद नगर सुपासी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

5—विपिन निवासी श्यामनगर बाईपास थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर।

6—अब्दुल मजीद निवासी सिद्धनाथ घाट थाना जाजमऊ कानपुर नगर।

7—फाजिल उर्फ लकी निवासी मोतीनगर थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1—लूट के सफेद धातु के आभूषण।

2—02 मोबाइल फोन।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.04.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आश्रम पद्धति रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश

को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुफरान उर्फ गुफ्फी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, बुलन्दशहर, मेरठ, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुफरान उर्फ गुफ्फी निवासी मो0 हिन्दुपुरा खेडा दीपा सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद महाराजगंज/थाना पनियरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.04.2026 को थाना पनियरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लाला बड़हरा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वाजिद अली को गिरफ्तार किया गयझं

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना पनियरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पनियरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वाजिद निवासी ग्राम जंगल बब्बन थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 लाख 57 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरानी जेल गेट के पास से अभियुक्त निकुंज मित्तल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 लाख 57 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निकुंज मित्तल निवासी नवलपुरा कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी के 09 लाख 57 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद सहारनपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 48 करोड़ 99 लाख 16 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–मनोज जायसवाल 2–नीरज जायसवाल पुत्रगण स्व0 ओम प्रकाश जायसवाल निवासीगण ग्रीन पार्क थाना बारादरी जनपद बरेली 3–अजय जायसवाल पुत्र स्व0 श्री रामनाथ जायसवाल निवासी बल्लिया थाना भमौरा जनपद बरेली, हालपता बन्नू बालनगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 48 करोड़ 99 लाख 16 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–भैयालाल 2–सूरज कुमार 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सरपतहां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरपतहां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————